भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5367

उत्तर देने की तारीख : 25.03.2026

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के उद्देश्य

†5367. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के अमरावती, सोलापुर, सतारा और यवतमाल जिलों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत और पूरे किए गए कार्यों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त जिलों में पीएमजेवीके के अंतर्गत आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन जिलों में पीएमजेवीके के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन का ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन जिलों के अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों में निधि के उपयोग में सुधार करने, परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने और पीएमजेवीके के प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देशभर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। यह योजना स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला-केंद्रित परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य आवश्यकता-आधारित सामुदायिक परिसंपत्तियों के क्षेत्रों में अवसंरचना विकसित कर अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है।

PMJVK एक मांग-आधारित योजना है, जिसके अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से योजना दिशा-निर्देशों को पूरा किए जाने के अध्ययधीन प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर परियोजनाओं पर विचार किया जाता है एवं अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य के अमरावती, सोलापुर, सतारा एवं यवतमाल जिलों में PMJVK के अंतर्गत कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, चूंकि PMJVK एक मांग-आधारित योजना है, अतः जिला-वार निधि आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमोदित परियोजनाओं तथा उनके कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर निधि जारी की जाती है। PMJVK के अंतर्गत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य को जारी की गई निधि का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

				(रुपए लाख में)
2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**SNA Sparsh 2025-26 के अनुसार, दिनांक 20.03.2026 तक जारी की गई मूल स्वीकृतियाँ**
-	-	2000.00	6000.00	5500.00

(ग) और (घ): प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन, संचालन एवं रख-रखाव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाती है, जिनमें वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का आकलन किया जाता है। साथ ही, परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं समयबद्ध पूर्णता हेतु राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे कार्यान्वयन में तेजी लाएं, आवश्यकतानुसार अव्यवहार्य परियोजनाओं को निरस्त करें तथा उपलब्ध निधियों का उपयोग पीएमजेवीके के तहत चल रही स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करें।

परियोजना कार्यान्वयन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक विशिष्ट PMJVK पोर्टल विकसित किया गया है, जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने से लेकर अनुमोदन, निधि निर्गम एवं परियोजना पूर्णता तक संपूर्ण परियोजना काल-चक्र की निगरानी हेतु एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस पोर्टल पर वास्तविक समय प्रगति प्रतिवेदन, जियो-टैग की गई तस्वीरें तथा मुख्य उपलब्धियों का विवरण अपलोड करते हैं।

इसके अतिरिक्त, परियोजना स्थलों से सीधे जियो-टैग की गई तस्वीरें एवं डेटा अपलोड के माध्यम से फील्ड स्तर पर रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करने हेतु NIGRANI मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाते हैं, पारदर्शिता को बढ़ाते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर समय पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। निधियों का निर्गम राज्य नोडल खाता (SNA) तंत्र के माध्यम से किया जाता है, जिससे अनुमोदित सामुदायिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है।
